प्रतिलिपि आदेश दिनांक 20–10–2021, जो कि नियमित जमानत आवेदन आरक्षी केन्द्र कोतवाली, नरसिंहपुर के अपराध क्रमांक 447/2021 विशेष प्रक. क्र. 81/2021 में न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्या.निवा.) अधिनियम, 1989 नरसिंहपुर द्वारा पारित किया गया। पक्षकार निम्नानुसार हैं :–

<u>जमानत आवेदन क्र. 689/2021</u>

1. राजा उर्फ विकास श्रीवास्तव पिता स्व. श्री रूपकुमार श्रीवास्तव, उम्र 37 वर्ष,

2. मंगल उर्फ राहुल श्रीवास्तव पिता स्व. विजय कुमार श्रीवास्तव, उम्र 30 वर्ष, क्रमांक 01 एवं 02 निवासी नरसिंह वार्ड, आरक्षी केन्द्र कोतवाली, नरसिंहपुर

—— आवेदकगण/आरोपीगण

//बनाम//

मध्यप्रदेश शासन, द्वारा आरक्षी केन्द्र कोतवाली, जिला नरसिंहपुर.

—— अनावेदक

20.10.2021

आवेदकगण/आरोपीगण राजा उर्फ विकास श्रीवास्तव एवं मंगल उर्फ राहुल श्रीवास्तव की ओर से श्री अनंत गुप्ता, अधिवक्ता उपस्थित।

म.प्र.राज्य की ओर से श्री ठा. सूर्यप्रताप सिंह वि.लो.अभि. उप.।

पीड़ित पक्ष को जमानत आवेदन पत्र की सुनवाई के लिये जारी किया गया सूचना पत्र तामील उपरांत वापस प्राप्त किन्तु पीड़ित पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

जमानत आवेदनपत्र पर उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने गये।

इस आदेश द्वारा आवेदकगण/आरोपीगण राजा उर्फ विकास श्रीवास्तव एवं मंगल उर्फ राहुल श्रीवास्तव के **द्वितीय जमानत** आवेदन पत्र धारा 439 दं.प्र.सं. का निराकरण किया जा रहा है। आवेदकगण/आरोपीगण का प्रथम जमानत आवेदन पत्र पूर्व में दिनांक 01.10.2021 को बल न दिये जाने के कारण निरस्त किया गया है।

आवेदकगण/आरोपीगण राजा उर्फ विकास श्रीवास्तव एवं मंगल उर्फ राहुल श्रीवास्तव के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया है कि वे निर्दोष हैं। प्रकरण में सहआरोपी छोटू उर्फ विनीत को मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया है एवं इस न्यायालय द्वारा भूपेन्द्र मेहरा एवं रवि यादव की जमानत स्वीकार की जा चुकी है। पीड़ित के पुत्र मुकेश पर आरोपी भूपेन्द्र की रिपोर्ट पर अप.क्र.446/2021 दिनांक 29.06.2021 को ही पंजीबद्ध किया गया है जिससे बचाव में

फरियादी के द्वारा उक्त प्रकरण रंजिशवश बनवाया गया है। वे नरसिंहपुर जिले के स्थाई निवासी हैं। उनके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। जमानत मिलने की स्थिति में वे न्यायालय की सभी शर्तो का पालन करेंगे। आवेदन के समर्थन में शपथकर्ता विवेक श्रीवास्तव का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से सूची अनुसार दस्तावेज पेश किये।

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अपराध गंभीर बताते हुये जमानत दिये जाने का विरोध किया है।

लंबित विशेष प्रकरण क्र. 81/2021 का अवलोकन किया गया। आवेदकगण/आरोपीगण राजा उर्फ विकास श्रीवास्तव एवं मंगल उर्फ राहुल श्रीवास्तव पर भा.दं.सं. की धारा 294, 323, 427, 506 सहपठित धारा 34 एवं एस.सी.एस.टी.एक्ट की धारा 3(1)(r), 3(1)(s), 3(2)(va) का आरोप है। प्रकरण में आवेदक/आरोपी भूपेन्द्र सिंह मेहरा की रिपोर्ट पर आरक्षी केन्द्र कोतवाली, नरसिंहपुर के अप.क्र.446/2021 पर फरियादी पक्ष के विरूद्ध दिनांक 29.06.2021 को ही रात्रि के 09.30 बजे अर्थात इस घटना के दो घंटे पूर्व प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है। प्रकरण में संलग्न आपराधिक रिकार्ड अनुसार आवेदकगण/आरोपीगण के विरूद्ध पूर्व में चार–चार आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हुये हैं किन्तु आवेदकगण/आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत विशेष प्रक.क्र.230/2017 व दां.प्रक.क्र.3792/2014 के अनुसार उन्हें दोषमुक्त किया गया है। आवेदकगण/आरोपीगण दिनांक 27.09.2021 से न्यायिक निरोध में है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्या.निवा.) अधिनियम से संबंधित अपराध को छोड़कर शेष सभी अपराध जमानतीय हैं। प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा रवि यादव एवं भूपेन्द्र मेहरा को नियमित एवं आरोपी विनीत श्रीवास्तव को मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया है। प्रकरण में अभियोगपत्र पेश किया जा चुका है। आवेदकगण/आरोपीगण नरसिंहपुर जिले के स्थाई निवासी हैं।

अतः अपराध की प्रकृति, आवेदकगण/आरोपीगण राजा उर्फ विकास एवं मंगल उर्फ राहुल की निरोध अवधि, आवेदक/आरोपी भूपेन्द्र सिंह मेहरा द्वारा फरियादी पक्ष के विरूद्ध इस घटना के दो घंटे पूर्व दर्ज कराई गई रिपोर्ट व प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते जमानत का यह आवेदन पत्र मंजूर किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि आवेदकगण/ आरोपीगण राजा उर्फ विकास एवं मंगल उर्फ राहुल की ओर से इस न्यायालय की संतुष्टि योग्य 20,000–20,000/–रूपये (बीस–बीस हजार रूपए) की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का मुचलका निम्नलिखित शर्तों के साथ पेश की जावे कि वे (1) प्रतिभूति पर मुक्त होने के पश्चात् साक्षियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करेंगे (2) प्रत्येक नियत पेशी पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे तथा विचारण में

सहयोग करेंगे (3) विचारण के दौरान बिना अनुमति के मध्यप्रदेश की स्थानीय सीमाओं के बाहर नहीं जायेंगे। (4) आपराधिक गतिविधियों से विरत् रहेंगे (5) जमानत की अवधि में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु भारत सरकार एवं म.प्र. राज्य सरकार के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करेंगे तो उन्हें प्रतिभूति पर मुक्त किया जावे।

आदेशित शर्तो का उल्लंघन होने पर आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

प्रकरण आरोप पर तर्क हेतु पूर्ववत् दिनांक 26.10.2021 को पेश हो।

सही/–
(हितेन्द्र सिंह सिसोदिया)
विशेष न्यायाधीश(एट्रोसिटी)
नरसिंहपुर(म.प्र.)